न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 03/2009

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्री चम्पतलाल पुत्र श्री नाथाजी जाति लुहार तहसील पिण्ड़वाड़ा जिला सिरोही		1. सरपंच ग्राम पंचायत, कोजरा। 2. श्रीमती विमलाबेन पत्नि श्री समरथाजी जाति लुहार निवासी कोजरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री भंवरसिंह देवडा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री अश्विन मरडिया, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।
3. श्री अशोक पुरोहित, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 31.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, कोजरा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 004543 दिनांक 20.07.2004 मिसल संख्या 08/03–04 दिनांक 05.01.2004 वर्गफीट 2000 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत जारी किया गया है, जो विधिविरूद्ध है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक की ओर अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया ने जरिये वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित ने जरिये वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत कोजरा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियमो के विपरित राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत पट्टा संख्या 004543 दिनांक 20.07.2004 जारी किया है। विवादित भूमि प्रार्थी एवं उनके भाईयों की पुश्तैनी जमीन है। प्रार्थी स्वयं कोजरा का निवासी है एवं अप्रार्थी [illegible] प्रार्थी स्वयं पांच भाई है एवं उनका पुश्तैनी भूखण्ड 5000 वर्गफीट का था [illegible] भाईयों ने अपने हिस्से का 3000 वर्गफीट लेकर पट्टा [illegible] भूखण्ड 2000 वर्गफीट पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो के [illegible] अप्रार्थी संख्या दो ने अप्रार्थी संख्या एक के साथ मिलकर समस्त [illegible] करवा लिया जो विधि[illegible] है। उक्त पट्टे की जानकारी प्रार्थी को मकान निर्माण [illegible] स्वीकृति मांगी तब प्रा[illegible] उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो के पति की पुश्तैनी भूमि है जिस पर दोनों भाईयों का बराबर अधिकार है। अप्रार्थी संख्या–2 ने अप्रार्थी संख्या–1 के साथ मेल मिलाप कर विक्रय

जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:15:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

विलेख 2000 वर्गफीट का रूपये 200/– मे जारी करवा कर प्राप्त किया। उक्त पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया है। जिसकी पात्रता अप्रार्थी संख्या–2 नही रखता है। अप्रार्थी संख्या–2 को सदोष लाभ देने के नियत से बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये उक्त पट्टा जारी किया गया है जो कानूनन गलत है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। पंचायत द्वारा उक्त प्रस्ताव पारित करने एवं पट्टा जारी करने से पूर्व आज्ञापक प्रावधानों की पालना नही की है। अप्रार्थी संख्या दो का विवादित भूमि पर कभी कब्जा नही रहा है। अतः पट्टा संख्या 004543 दिनांक 20.07.2004 क्षेत्रफल वर्गफीट 2000 को निरस्त करने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 को जारी पट्टा नियमों के अनुरूप राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(ख) के तहत ही जारी किया गया है। पट्टा जारी करते समय पंचायत द्वारा कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। प्रार्थी आदतन शिकायती प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो झूठी शिकायत कर परेशान हैरान करने की नियत से निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 157 (ख) के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। अप्रार्थी संख्या–दो द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है। प्रार्थी द्वारा किया गया यह कथन असत्य है कि उक्त भूखण्ड प्रार्थी का पुश्तैनी भूखण्ड है। यदि प्रार्थी का यह भूखण्ड पुश्तैनी भूखण्ड है तो शेष सभी तीन भाईयों को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया है। उक्त पट्टे को जारी करने में ग्राम पंचायत कोजरा द्वारा आपत्ति मांगी गई एवं वर्ष 2004 के बाद तक किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अप्रार्थी संख्या 2 ने विवादित भूमि पर उसके स्वयं की लागत से पक्के मकान का निर्माण करवाया है। अतः प्रार्थी ने अप्रार्थी को हैरान परेशान करने से यह निगरानी प्रस्तुत की है जिसे खारिज करना फरमायें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, कोजरा द्वारा पंचायत के प्रस्ताव लेकर जारी किया गया है । राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत पट्टा संख्या 004543 दिनांक 20.07.2004 मिसल संख्या 08/03–04 दिनांक 05.01.2004 वर्गफीट 2000 रूपये 200/– शुल्क लेकर जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह पता लगाना मुश्किल है कि उक्त विवादित भूमि प्रार्थी एवं उनके भाईयों की पुश्तैनी भूमि है एवं न ही यह पता लगाया जा सकता है कि उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो का वर्षो पुराना कब्जा [illegible] के बटवारे से सम्बन्धित कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है एवं अन्य भाईयों [illegible] पास कितनी जमीन है, ऐसा कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः साक्ष्य के अभाव में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:15:09 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner